

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग

क्रमांक प.6/18/प्र.सु./अनु-3/99

जयपुर, दिनांक: 20.10.2005

:: आज्ञा ::
=====

शासन सचिवालय के मंत्रालयिक, अधीनस्थ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा सेवा के कर्मचारियों के निलम्बन के प्रकरणों का पुनर्विलोकन करने के लिए महामन्त्रि राज्यपाल महोदया निम्न प्रकार से समिति का पत्रद्वारा गठन करते हैं :-


1. शासन सचिव, कार्यात्मिक विभाग अध्यक्ष
2. उप शासन सचिव, कार्यात्मिक अनु-3/जाच विभाग सदस्य
3. उप शासन सचिव, कार्यात्मिक अनु-1 विभाग सदस्य सचिव

समिति की बैठक 3 माह में एक बार अवकाश होगी ।

समिति छः माह से अधिक अवधि के निलम्बित राजसेवकों के निलम्बन को निरन्तर रखने या निलम्बन से बञ्चाल करने के सन्दर्भ में निलम्बन प्रकरणों का पुनर्विलोकन करेगी ।


उप सचिव, कार्यात्मिक अनु-1 विभाग पुनरावलोकन समिति की सिफारिश के आधार पर उचित कार्यवाही करेंगे । उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग कार्यात्मिक अनु-3 विभाग होगा ।

आज्ञा से,


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्यात्मिक विभाग ।
3. उप शासन सचिव, कार्यात्मिक अनु-1 विभाग ।
4. उप शासन सचिव, कार्यात्मिक अनु-3/जाच विभाग ।
5. रक्षित पत्रावली ।


शासन उप सचिव